अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित पद नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विभागों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या क्या हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इन माडल साम्प्रदायिक सूचियों की गृह-कार्य मंत्रालय से छानबीन नहीं करवाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रत्येक विभाग से माडल साम्प्रदायिक सूची के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी करने और भविष्य में उसकी गृह-कार्य मंत्रालय से छानबीन कराने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए सूचियां रखनी पड़ती हैं। यदि किसी प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से सूचियां न रखने के दृष्टान्त इस मंत्रालय को सूचित किये जाते हैं तो उन्हें इस कमी को दूर करने का तथा इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार सूचियां बनाने का निदेश दिया जाता है। फिर भी विभागों की संख्या तथा नाम के संबंध में, यदि कोई हो, जो सूचियां नहीं रख रहे हैं सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). अन्य बातों के साथ-साथ सूचियों में नियुक्तियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या बतलाने के लिये ब्यौरा नियत किया गया है, जो वार्षिक विवरण में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा रखी गई सूचियों की छानबीन करना गृह मंत्रालय द्वारा सम्भव नहीं है।

Gauhati Riots

3341. SHRI YASHPAL SINGH:
SHRI LAKHAN LAL KAPOOR:
SHRI R. S. VIDYARTHI:
SHRI N. S. SHARMA:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the loss of life and property during the recent Gauhati disturbances in Assam;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any assistance has been given to the sufferers also?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). Attention is invited to the answer given on 1-3-1968 to Unstarred Question No. 2459. Further information is awaited from the State Government.

दिल्ली-बम्बई विमान सेवाएं

3342. **श्री शशिभूषण बाजपेयी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंदौर एक औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यापार केन्द्र है निकट भविष्य में दिल्ली और बंबई के बीच बरास्ता इन्दौर विमान सेवा आरम्भ करने की कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). कारपोरेशन ने गर्मियों की समय सूची (शिड्यूल) में जिसके कि 15 अप्रैल, 1968 से लागू किये जाने की संभावना है, फोकर फ्रेंडशिप विमान से चलाई जाने वाली एक दैनिक विमान सेवा दिल्ली-भोपाल-इन्दौर-बम्बई की व्यवस्था की है।